

10/8/23

वकील उमय पत्र उपस्थित / पत्रावली का
अवलोकन किया गया / तत्कालीन पीठासीन
कार्यकारी उपरबन्धाधिकारी केपवास को स्थानांतरण
अन्यत्र हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र
प्रभावहीन हो जाता है। अतः प्रभावहीन
होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फिल
अंशर हो बाद कार्यवाही द्वास्केल अफर
है।


जिला कलक्टर
भरतपुर